सं. 45/7/2008-पी.एंड पी.डब्ल्यू.(एफ)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

* * *

लोकनायक भवन,

खान मार्केट, नई दिल्ली-110003.

दिनांक : 16 मार्च, 2009

कार्यालय ज्ञापन

विषय :- छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के बारे में सरकार के निर्णयों का कार्यान्वयन – सेवा में मृत्यु एवं निश:क्तता के मामलों में विशेष लाभों को विनियमित करने वाले उपबंधों का संशोधन – केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के परिवारों को एकमुश्त अनुग्रह क्षतिपूर्ति का भुगतान – संबंधित संशोधन ।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट के पैरा 5.1.45 में निहित सिफारिशों संबंधी निर्णयों के कार्यान्वयन में ड्यूटी के निष्पादन के दौरान दुर्घटना के कारण होने वाली मृत्यु, आतंकवादियों तथा असामाजिक तत्वों आदि द्वारा हिंसक कृत्यों के कारण होने वाली मृत्यु, अंतर्राष्ट्रीय युद्ध में शत्रु की कार्रवाई अथवा सीमा पर हुई मुठभेड़ों तथा उग्रवादियों, आतंकवादियों, चरमपंथियों आदि के खिलाफ की गई कार्यवाहियों की वजह से हुई मृत्यु अथवा प्राकृतिक आपदा अथवा उच्च दाब क्षेत्र वाले उच्च स्थलों, अगम्य सीमा चौकियों आदि पर ड्यूटी करते समय उग्र मौसमीय परिस्थितियों के कारण हुई मृत्यु के मामलों में अनुग्रह राशि की दरों को इस विभाग के दिनांक 2 सितंबर, 2008 के कार्यालय ज्ञापन सं. 38/37/08-पी. एंड पी.डब्ल्यू(क) द्वारा संशोधित कर दिया गया है ।

2. कतिपय मामलों में दिवंगत सरकारी सेवकों के परिवार वालों को विविध सरकारी स्रोतों जैसे प्रधान मंत्री राहत कोष, मुख्य मंत्री राहत कोष आदि से भी राहत प्रदान करने का प्रावधान है । इस प्रकार के मामलों में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि विभिन्न स्रोतों से भुगतान की गई राहत/अनुग्रह राशि का कुल योग प्रत्येक व्यक्तिगत मामले में 20 लाख रुपये से अधिक नहीं हो पाए । इस विभाग के दिनांक 11 सितंबर, 1998 के कार्यालय ज्ञापन सं. 45/55/97-पी. एंड पी.डब्ल्यू.(ग) के अनुबंध के पैरा 12 में इस आशय के संशोधन कर दिए गए हैं ।

3. दिनांक 11 सितंबर, 1998 के कार्यालय ज्ञापन में निहित अन्य सभी निबंधन और शर्तें यथावत् रहेंगी ।

4. यह वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग की सहमति से उनकी दिनांक 11.2.2009 के अशासकीय टिप्पणी सं. 4.2/39/2009-आई.सी. के तहत जारी किया जाता है ।

5. जहां तक भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के बाद जारी किए जाते हैं ।

(एम. पी. सिंह)
निदेशक (पी.पी.)
दूरभाष : 24624802

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग, मानक सूची के अनुसार

प्रतिलिपि:- राष्ट्रपति सचिवालय, उप राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, भारत का उच्चतम न्यायालय, सी. एंड ए.जी., संघ लोक सेवा आयोग आदि, मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार ।